न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–723/2026

CNR No.UPRP010045892026

(पंजीयन सं० 1223/2026)

प्रदीप यादव पुत्र तोताराम, निवासी पनवड़िया, थाना सिविल लाइन्स, जिला रामपुर, उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ।

धारा–103(1), 238,
61(2), 3(5) बी०एन०एस०
थाना–गंज, जिला रामपुर
अ०सं० 35/2026

आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी प्रदीप यादव की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता फैसल अली ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो योजित किया है और न ही लम्बित है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त/प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया है। अभियुक्त/प्रार्थी दिनांक 29–04–2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरूद्व है। अभियुक्त/प्रार्थी का कथित घटना से कोई ताल्लुक वास्ता नही है और न ही कोई लेना देना है।अभियोजन की पूरी कहानी सर्वथा झूठी, फर्जी व मनगढ़न्त है। मुकदमा उपरोक्त में अभियोजन के अपने ही कथनों में परस्पर विरोधाभास है, जो अभियोजन द्वारा रची गयी कहानी को स्वंय झूठा साबित करता है। उपरोक्त केस प्रत्यक्ष साक्ष्य का नहीं है। अपितु परिस्थितिजन्य साक्ष्य का केस है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचक ने सम्पूर्ण विवेचना में सिर्फ उसके द्वारा बनाये गये अभियुक्तों के कथनों के आधार पर कथित घटना की मनचाही कहानी बनाकर पूरी झूठी कहानी रची है। उपरोक्त में प्रथम दृष्टया भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के जो मुख्य सिद्वान्त है, उसके अनुसार भी विवेचक ने विवेचना नहीं की है तथा विवेचक किसी भी प्रकार प्रथम दृष्टया केस को आरोपपत्र पेश करने हेतु साक्ष्य भी एकत्र नहीं कर पाया। कथित घटना दिनांक 25–02–2026 की रात्रि को 9.00 बजे की कही जाती है, जिसकी रपट दान सिंह पुत्र इन्दल सिंह ने स्वंय लिखवाई तथा उक्त रपट धारा–281, 324(4), 106(1) बी०एन०एस० में दर्ज हुई। वाद विवेचना मुखबिर तथा अन्य साक्षियों के आधार पर वादी मुकदमा दान

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.08.06 14:08:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिंह(दौरान विवेचना अभियुक्त) को उपरोक्त में धारा–103(1),238,61(2), 3(5)बी०एन०एस०का मुल्जिम बनाया तथा उसकी गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी के समय दान सिंह के बयान अंकित किये,तो दान सिंह ने बताया कि आते–जाते हुए ट्रक में उसने कार को आगे वाली साइड से टक्कर मारी तथा कार का एक्सीडेन्ट दिखाया। इस प्रकार मुख्य मुल्जिम के बयानों में कथित गाड़ी जिसमें मृतका बैठी थी,उसकी टक्कर ट्रक में हुई तथा कार चालक ने पीछे से ट्रक को गाड़ी से टक्कर मारी। दिनांक 05–04–2026 को उपरोक्त में विवेचक ने वादी मुकदमा दान सिंह पुत्र इन्दल सिंह(दौरान विवेचना अभियुक्त) व रवि पुत्र मोहर सिंह व प्रदीप कुमार पुत्र तोलाराम, नूर हसन पुत्र मेंहदी हसन व सलमान पुत्र अब्दुल करीम को अभियुक्त बनाकर विवेचना प्रारम्भ की। विवेचना के दौरान विवेचक ने कथित रास्ते,जिस पर दुर्घटना हुई,उससे पहले ही स्थित पम्प का तुरन्त सी०सी०टी०वी० फुटेज नहीं लिया,जिससे यह स्पष्ट हो पाता कि कौन–कौन से वाहन उस निर्धारित समय पर उस रोड से निकले तथा उसको कौन–कौन चला रहा था। अभियुक्त/प्रार्थी को इस कारण मुकदमा उपरोक्त में मुल्जिम बनाया गया है,क्योंकि अभियुक्त/प्रार्थी पहले वादी मुकदमा दान सिंह(दौरान विवेचना अभियुक्त) की गाडी चलाता था,बाद में उसके नौकरी छोड़ दी थी,दान सिंह पर पैसे निकल रहे थे,दान सिंह से अभियुक्त/प्रार्थी अपने पैसे मांगता था, तो दान सिहं ने अपने बयानों में अभियुक्त/प्रार्थी का झूठा नाम लिखवा दिया है। अभियुक्त/प्रार्थी को दिनांक 29–04–2026 को गिरफ्तार करना कहा गया है। अभियुक्त/प्रार्थी का वादी मुकदमा दान सिंह(दौरान विवेचना अभियुक्त)से कोई सम्बन्ध नहीं है।अभियुक्त/प्रार्थी को आज तक कभी सजा नहीं हुई है। अभियुक्त प्रार्थी के जेल में रहने से चरित्र पर बुरा असर पड़ रहा है। अभियुक्त /प्रार्थी जनपद रामपुर का स्थायी निवासी है तथा जमानत के दौरान उसके कहीं भाग जाने का डर नहीं है। अतः अभियुक्त/ प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है।उ से रंजिशन झूठा फंसाया है। अभियुक्त/प्रार्थी ने अभियोजित अपराध नहीं किया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी का कथित घटना से कोई ताल्लुक वास्ता नही है और न ही कोई लेना देना है।अभियोजन की पूरी कहानी सर्वथा झूठी,फर्जी व मनगढ़न्त है। मुकदमा उपरोक्त में अभियोजन के अपने ही कथनों में परस्पर विरोधाभास है,जो अभियोजन द्वारा रची गयी कहानी को स्वंय झूठा साबित करता है। उपरोक्त केस प्रत्यक्ष साक्ष्य का नहीं है। अपितु परिस्थितिजन्य साक्ष्य का केस है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचक ने सम्पूर्ण विवेचना में सिर्फ उसके द्वारा बनाये गये अभियुक्तों के कथनों के आधार पर कथित घटना की मनचाही कहानी बनाकर पूरी झूठी कहानी रची है। उपरोक्त में प्रथम दृष्टया भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के जो मुख्य सिद्वान्त है,उसके अनुसार भी विवेचक ने विवेचना नहीं की

है तथा विवेचक किसी भी प्रकार प्रथम दृष्टया केस को आरोपपत्र पेश करने हेतु साक्ष्य भी एकत्र नहीं कर पाया। कथित घटना दिनांक 25–02–2026 की रात्रि को 9.00 बजे की कही जाती है, जिसकी रपट वादी मुकदमा दान सिंह पुत्र इन्दल सिंह (दौरान विवेचना अभियुक्त)ने स्वंय लिखवाई तथा उक्त रपट धारा– 281, 324(4), 106(1) बी०एन०एस० में दर्ज हुई। वाद विवेचना मुखबिर तथा अन्य साक्षियों के आधार पर वादी मुकदमा दान सिंह(दौरान विवेचना अभियुक्त) को उपरोक्त में धारा 103(1), 238, 61(2), 3(5)बी०एन०एस०का मुल्जिम बनाया तथा उसकी गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी के समय वादी मुकदमा दान सिंह(दौरान विवेचना अभियुक्त) के बयान अंकित किये, तो वादी मुकदमा दान सिंह(दौरान विवेचना अभियुक्त) ने बताया कि आते–जाते हुए ट्रक में उसने कार को आगे वाली साइड से टक्कर मारी तथा कार का एक्सीडेन्ट दिखाया। इस प्रकार मुख्य मुल्जिम के बयानों में कथित गाड़ी जिसमें मृतका बैठी थी, उसकी टक्कर ट्रक में हुई तथा कार चालक ने पीछे से ट्रक को गाड़ी से टक्कर मारी। दिनांक 05–04–2026 को उपरोक्त में विवेचक ने वादी मुकदमा दान सिंह पुत्र इन्दल सिंह(दौरान विवेचना अभियुक्त) व रवि पुत्र मोहर सिंह व प्रदीप कुमार पुत्र तोलाराम, नूर हसन पुत्र मेंहदी हसन व सलमान पुत्र अब्दुल करीम को अभियुक्त बनाकर विवेचना प्रारम्भ की। विवेचना के दौरान विवेचक ने कथित रास्ते, जिस पर दुर्घटना हुई, उससे पहले ही स्थित पम्प का तुरन्त सी०सी०टी० वी० फुटेज नहीं लिया, जिससे यह स्पष्ट हो पाता कि कौन–कौन से वाहन उस निर्धारित समय पर उस रोड से निकले तथा उसको कौन–कौन चला रहा था। अभियुक्त/प्रार्थी को इस कारण मुकदमा उपरोक्त में मुल्जिम बनाया गया है , क्योंकि अभियुक्त/प्रार्थी पहले वादी मुकदमा दान सिंह(दौरान विवेचना अभियुक्त)की गाडी चलाता था, बाद में उसके नौकरी छोड़ दी थी, वादी मुकदमा दान सिंह (दौरान विवेचना अभियुक्त)पर पैसे निकल रहे थे, दान सिंह से अभियुक्त/प्रार्थी अपने पैसे मांगता था, तो वादी मुकदमा दान सिंह(दौरान विवेचना अभियुक्त) ने अपने बयानों में अभियुक्त /प्रार्थी का झूठा नाम लिखवा दिया है। अभियुक्त/ प्रार्थी को दिनांक 29–04–2026 को गिरफ्तार करना कहा गया है। अभियुक्त/ प्रार्थी का कोई सम्बन्ध वादी मुकदमा दान सिंह (दौरान विवेचना अभियुक्त) से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभियुक्त /प्रार्थी को आज तक कभी सजा नहीं हुई है। अभियुक्त/प्रार्थी के जेल में रहने से चरित्र पर बुरा असर पड़ रहा है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त /प्रार्थी इस मामले में मृतका के पति दान सिंह का कार चालक था और इसी विश्वास में अभियुक्त/ प्रार्थी घटना में मृतकगण के पति व पिता के साथ शामिल हुआ था।उनका तर्क

है कि अभियुक्त/प्रार्थी की घटना में संलिप्तता के हेतु का भी साक्ष्य दौरान विवेचना में संकलित हुआ है। अभियुक्त/प्रार्थी की घटनास्थल पर उपस्थिति का इलेक्ट्रानिक एवं तथ्य का साक्ष्य विवेचना में संकलित हुआ है। उनका तर्क है कि दौरान विवेचना इस तथ्य का भी साक्ष्य संकलित हुआ है कि अभियुक्त/प्रार्थी इस घटना को दुर्घटना दर्शित करने के लिए घटना के पूर्व से ही अन्य सहअभियुक्तगण के साथ शामिल रहा था। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी घटना की दिनांक को मृतकगण के साथ चल रहे वादी मुकदमा(दौरान विवेचना अभियुक्त)दान सिंह से निरन्तर फोन पर बातचीत कर रहा था और इस घटना को सुकर बनाने के लिए अभियुक्तगण ने सभी साधनों का प्रयोग किया। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा ज्वलनशील पदार्थ को घटनास्थल पर ले जाने के तथ्य का साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित हुआ है। अभियुक्त/प्रार्थी की घटना में संलिप्तता का प्रत्यक्ष साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित हुआ है। अभियुक्त/प्रार्थी भी घटना में मृतका आरक्षी की मृत्यु पर प्राप्त बीमा धनराशि का हिस्सा प्राप्त करने के उद्देश्य से शामिल होने का भी साक्ष्य विवेचना में संकलित हुआ है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी एवं मृतकगण के साथ चल रहे वादी मुकदमा (दौरान विवेचना अभियुक्त) के मोबाइल फोन पर बातचीत करने का साक्ष्य भी दौरान विवेचना संकलित हुआ है। अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उपरान्त विवेचना आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

थाना से प्राप्त आख्या में अभियुक्त/प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास न होना उल्लेखित है।

उभयपक्षों के तर्को को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा (दौरान विवेचना बनाये गये अभियुक्त)दान सिंह पुत्र ऊदल सिंह की ओर से दिनांक 26–02–2026 को इस आशय से पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुआ कि दिनांक 25–02–2026 को वादी मुकदमा अपनी गाड़ी स्विफ्ट कार पंजीयन संख्या–UP22BJ/9574 से नैनीताल से खौद से होते हुए चाकू चौक रामपुर की तरफ जा रहा था। वादी मुकदमा की गाड़ी में उसकी पत्नी लता, बेटा आवांश (लड्डू)उम्र 3 वर्ष व रिश्तेदार रवि पुत्र मोर सिंह, निवासी जमापुर, तहसील मिलक रामपुर थे। जब वे लोग काशीपुर गाँव के पास पहुँचे, तो एक डम्फर के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए समय करीब रात्रि 9 से 10 के बीच वादी मुकदमा की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी और आग लग गई, जिससे वे लोग बुरी तरह झुलस गये। चीख पुकार की आवाज सुनकर काशीपुर गाँव के लोगों ने आकर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला। वादी मुकदमा ने नूरहसन को फोन करके बताया, तो वह गाड़ी लेकर मौके पर आया, जिसमें वादी मुकदमा, उसकी पत्नी व रवि को लेकर तुरन्त संजीवनी अस्पताल,

रामपुर पहुँच गये ,जहाँ पर वादी मुकदमा की गंभीर हालत को देखकर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेन्टर बरेली रेफर कर दिया।वादी मुकदमा की पत्नी को बरेली नवोदय अस्पताल में दिखाया,तो बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके उपरान्त मृतका लता के शव को रामपुर मोरचरी में रखवा दिया है। वादी मुकदमा की जानकारी में आया कि उसके बेटे आवांश की जलकर मौत हो गई है,जिसकी डेडबॉडी को थाना गंज पुलिस द्वारा मोरचरी में रखवा दिया है।

अभियुक्त/प्रार्थी की घटना में सक्रिय संलिप्तता का साक्ष्य दौरान विवेचना अभियोजन प्रपत्रों में दर्शित है। अभियुक्त/प्रार्थी की घटना में संलिप्तता के हेतु के तथ्य का भी साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित हुआ है। दौरान विवेचना अभियुक्त/प्रार्थी की घटना में संलिप्तता का प्रबल परिस्थितिजन्य प्रकट हुआ है। अभियुक्त/प्रार्थी का घटना से पूर्व सहअभियुक्तगण से परिचित होना और घटना से पूर्व घटना करने के लिए योजना बनाने में सम्मिलित होने का भी साक्ष्य अभियोजन प्रपत्रों में संकलित हुआ है। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा मृतकगण के साथ चल रहे मुख्य अभियुक्त दान सिंह के मोबाइल फोन पर बातचीत करने और बातचीत के आधार पर ज्वलनशील पदार्थ को घटनास्थल पर ले जाने के तथ्य का साक्ष्य संकलित हुआ है।अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा भी सहअभियुक्तगण के साथ उपरोक्त घटना को दुर्घटना के रूप में दर्शित करने के मिथ्या तथ्यों और साक्ष्य विलोपन के तथ्य का साक्ष्य संकलित होना अभियोजन प्रपत्रों से दर्शित है। अभियुक्त/प्रार्थी और मुख्य अभियुक्त दान सिंह के मध्य हुई टैलीफोनिक वार्ता की कॉल डिटेल दौरान विवेचना संकलित होना अभियोजन प्रपत्रों से दर्शित है। मामले में उपरान्त विवेचना आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं सुरक्षित विचारण को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्तर पर अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत प्रदत्त किए जाने का कोई पर्याप्त व न्यायोचित आधार प्रकट नहीं होता है।

तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 06–08–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545